न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 73/2011

1 राधेश्याम पुत्र श्री जगदीश प्रसाद जाति ब्राह्मण निवासी ढढार तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू राज.।

2 पवन कुमार पुत्र श्री जगदीश प्रसाद जाति ब्राह्मण निवासी ढढार तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू राज.।

3 राजेन्द्र पुत्र श्री जगदीश प्रसाद जाति ब्राह्मण निवासी ढढार तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू राज.।

4 शंकरलाल पुत्र श्री जगदीश प्रसाद जाति ब्राह्मण निवासी ढढार तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू राज.।

5 सरबती पुत्री श्री जगदीश प्रसाद जाति ब्राह्मण निवासी ढढार तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू राज.।

6 शारदा पुत्री श्री जगदीश प्रसाद जाति ब्राह्मण निवासी ढढार तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू राज.।

7 सन्तोश पुत्री श्री जगदीश प्रसाद जाति ब्राह्मण निवासी ढढार तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू राज.।

8 लक्ष्मी देवी पुत्री श्री जगदीश प्रसाद जाति ब्राह्मण निवासी ढढार तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू राज.।

9 कमला पत्नी स्व. श्री सीताराम जाति ब्राह्मण निवासी ढढार तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू राज.।

10 अशोक पुत्र स्व. श्री सीताराम जाति ब्राह्मण निवासी ढढार तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू राज.।

11 मनोज पुत्र स्व. श्री सीताराम जाति ब्राह्मण निवासी ढढार तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू राज.।

12 कुरडा राम पुत्र माता सरबती जाति ब्राह्मण निवासी झेरली तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू राज.। मृतक

12/1 श्रीमती मुनिया देवी पत्नी कुरडाराम जाति ब्राह्मण निवासी झेरली तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू राज.।

भूप्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

12/2 दिनेश शर्मा पुत्र कुरड़ाराम जाति ब्राह्मण निवासी झेरली तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू राज.।
12/3 सन्दीप कुमार शर्मा पुत्र कुरड़ाराम जाति ब्राह्मण निवासी झेरली तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू राज.।
12/4 निर्मला पुत्री कुरड़ाराम जाति ब्राह्मण निवासी झेरली तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू राज.।
12/5 मीना पुत्री कुरड़ाराम जाति ब्राह्मण निवासी झेरली तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू राज.।
13 किशोर कुमार पुत्र माता सरबती जाति ब्राह्मण निवासी झेरली तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू राज.।

अपीलांट

बनाम

1 श्रीमति सरोज पत्नी स्व श्री ओमप्रकाश जाति जाट निवासी कुल्हरियों का बास तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू राजस्थान।
2 उप पंजीयन अधिकारी पंजीयन कार्यालय सुरजगढ़ तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू राज.।
3 भूमि विकास बैंक शाखा चिड़ावा जरिये प्रबंधक।

रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 11.07.2011 न्यायालय
उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा व मुकदमा उनवानी
सरोज बनाम राधेश्याम आदि मु.नं. 143/2011
अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम

उपस्थिति :

1. श्री गोरधन सिंह, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री संदीप बिजारणियां, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 6.9.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा द्वारा मुकदमा नम्बर 143/2011 में पारित निर्णय दिनांक 11.07.2011के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने एक प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत गत खसरा नम्बर 60 हाल खसरा नम्बर 122, 123 वाके ग्राम ढंढार का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को ताफैसला वाद कन्फर्म कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अधिनियम धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थना पत्र मूलवाद के पक्षकारों के विरूद्ध ही चल सकता है। अपीलान्टस मूलवाद में पक्षकार नहीं है इसलिए प्रार्थना पत्र न तो पेश हो सकता और न ही चल सकता है इस प्रकार विचारण न्यायालय को उक्त प्रार्थना पत्र प्रथमतः तो दर्ज ही नही करना था और फिर दर्ज कर लिया तो खारिज कर देना चाहिए था परन्तु विचारण न्यायालय ने प्रार्थना पत्र स्वीकार करके अहम कानूनी गलती की है। प्रश्नगत प्रकरण में अपीलान्टस को न तो प्रार्थना पत्र की सूचना दी गई और न ही उन्हें सुनवाई का अवसर दिया गया। पत्रावली दिनांक 04.07.2011 को तलबी हेतु था दिनांक 08.07.2011 को अपीलान्ट पवन कुमार अकेला अपनी व्यक्तिगत जानकारी से हाजिर हुआ तो विचारण न्यायायल ने मनमर्जी से प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान का तकारी अधिनियम की बहस सुनी जाना दर्ज कर दिया जबकि अन्य अपीलान्टस की न तो तलबी बाबत कोई आदेश किया और न उनको सुनने कर अवसर दिया और रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अहम कानूनी गलती की है। विचारण न्यायालय ने विक्रय पत्र के आधार पर प्रथम दृष्टया केश माना है विक्रय पत्र फर्जी है का यह बात तो साक्ष्य से साबित होगी परन्तु जिस रोज का विक्रय पत्र बताया गया है उस रोज जगदीश प्रसाद भूमि के 1/3 हिस्से का खातेदार दर्ज था जबकि विक्रय पत्र में जगदीश प्रसाद द्वारा सम्पूर्ण भूमि विक्रय करना लिखा हुआ है इस तथ्य को विचारण न्यायालय ने नजर अन्दाज कर अहम कानूनी गलती की है। अतः अपील अपीलान्टस पेश कर निवेदन है कि अपीलान्टस की अपील स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा द्वारा प्रार्थना पत्र अधिनियम धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 143/11 में पारित आदेश दिनांक 11.07.2011 अपास्त किया जाकर रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 का उक्त प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना फरमाया जावें।

भूप्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झनूं)

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि आवेदनकर्ता के पति द्वारा जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र विवादित भूमि क्रय की गई है। प्रार्थीया विवादित भूमि पर काबिज काश्त है। प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति का बिन्दु प्रार्थीया के पक्ष में है। विचारण न्यायालय ने पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य का विवेचन कर विचाराधीन निर्णय पारित किया है। इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदनकर्ता के पति द्वारा जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र विवादित भूमि क्रय की गई है। प्रार्थीया विवादित भूमि पर काबिज काश्त है। प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति का बिन्दु प्रार्थीया के पक्ष में है। पक्षकारों के हितो का निर्धारण मूलवाद में साक्ष्य सुनवाई के उपरांत होना शेष है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय को मूलवाद के निर्णय तक उभयपक्ष को मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के लिए पाबंद किया जाना चाहिए था। ऐसा नहीं कर विचारण न्यायालय ने विधिक त्रुटि की है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं ताफैसला वाद उभयपक्ष को विवादित भूमि की मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के लिए पाबंद किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 6.9.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोलिया)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भूप्रबन्ध अधिकारी एवं
राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)